

13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता पति प्रपञ्च पारिवारिक पेंशन हेतु भरा जा
 14. मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध तब लागू होगा
 15. आवेदक की जन्म तिथि 01.06.1966
 16. ऊँचाई 5 फीट 08 इंच
 17. पहचान चिह्न महेश कुमार सिंह जिससे आपसे पूछा जा
 18. यदि पेंशन रूपान्तरण कराना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत 40% (पा 2 स स का)
 19. सरकारी सेवक का मोबाईल नं. 9525674430
 20. सरकारी सेवक का यूनिट आई. डी. अनिवार्य रूप से पूरे
 (क) बी. पी. एक नं.
 (ख) पैन नं.
 (ग) आधार नं.
 (घ) ई-पैल

21. परिवार के सदस्यों का विवरण:

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	दिव्यांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1	सुलेखा कुमारी	पत्नी	01.08.1968	विवाहित	
2	रोहित कुमार	पुत्र	02.02.2001	असि०	दिव्यांगता
3	रानी कुमारी	पुत्री	04.03.2008	असि०	के स्थिति में नीचे दिए गए नोट के क्रम संख्या - 03 पृष्ठ उपलब्धित प्रमाण पत्र
4					
5					
6					
7					

का अनुपस्थान करें

नोट:-

- (i) जन्म तिथि की प्रविष्टि कार्यालय प्रधान द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर की जायेगी।
 (ii) सरकारी सेवक द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होने का शपथ पत्र दिया जाता है, उस स्थिति में विध विभागीय परिपत्र सं. 549 दिनांक 29.04.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जन्म तिथि अंकित की जायेगी।
 (iii) सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिव्यांग पारिवारिक सदस्य जीवकोपार्जन में सक्षम नहीं, का प्रमाण पत्र दिये जाने की स्थिति में ही पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया जाएगा।

सुरेश कुमार
 आवेदक का हस्ताक्षर
 निधि के हाथ

2

अनिवार्य है
 कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर
 निधि के हाथ